

**राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर****एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2888/2025**

एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, कानूनी प्रतिनिधि ललित मेहता पुत्र स्वर्गीय श्री महावीर एस मेहता, आयु लगभग 65 वर्ष के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन स्कोप कॉम्प्लेक्स-7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोखी रोड, नई दिल्ली

----याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. राजस्व मंडल, अजमेर
  2. राजस्व अपीलीय प्राधिकरण, जोधपुर
  3. तहसीलदार, बाप, जिला फलोदी
  4. भजनाराम पुत्र ठाकर राम, निवासी उमाणियों की ढाणी तहसील धाधू जिला फलोदी राजस्थान
  5. मोहनराम पुत्र ठाकर राम, निवासी उमाणियों की ढाणी तहसील धाधू जिला फलोदी राजस्थान
  6. भंवरूराम पुत्र ठाकर राम, निवासी उमाणियों की ढाणी तहसील धाधू जिला फलोदी राजस्थान
  7. सोमारी पत्नी रामनिवास, निवासी उमाणियों की ढाणी तहसील धाधू जिला फलोदी राजस्थान
  8. कालीदेवी पत्नी मईपाल, निवासी उमाणियों की ढाणी तहसील धाधू जिला फलोदी राजस्थान
  9. रामनिवास पुत्र बाबूराम, निवासी उमाणियों की ढाणी तहसील धाधू जिला फलोदी राजस्थान
  10. ताज मोहम्मद पुत्र कायमदीन, निवासी कालू खां की ढाणी, तहसील बाप, जिला फलोदी
-

---प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए : श्री उदित माथुर,  
श्री हर्षवर्द्धन थानवी,  
सुश्री दिव्या बापना  
प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री एस.एस. लदरेचा, एएजी,  
श्री योगेश शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त

**माननीय श्रीमान न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर**

**निर्णय**

**प्रकाशनीय**

**05/03/2025**

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए जिला कलेक्टर, फलोदी द्वारा 04.03.2024 को बाप तहसील, ग्राम भादला में भूमि आवंटित की गई थी। हालाँकि, निजी प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत उप-खण्ड अधिकारी, बाप के न्यायालय में राजस्व वाद दायर किया।
3. विद्वान न्यायालय सहायक कलेक्टर, बाप ने 25.11.2024 के आदेश द्वारा निजी प्रतिवादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया । 25.11.2024 के आदेश से व्यथित होकर निजी प्रतिवादी ने राजस्व अपीलीय प्राधिकरण, जोधपुर के समक्ष अपील दायर की। 26.11.2024 को, विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण ने अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। उक्त निषेधाज्ञा

के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने राजस्व मंडल, अजमेर के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 20.12.2024 को तथ्यात्मक स्थिति या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता-कंपनी ने राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा पारित दिनांक 20.12.2024 के आदेश को चुनौती देने के लिए यह रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 सहपठित धारा 221 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका संख्या 9011/2024 को खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान राजस्व मंडल ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए त्रुटि की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता-कंपनी को भूमि आवंटित की गई है और इसलिए, निजी प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश की वैधता पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सहायक कलेक्टर ने निजी प्रतिवादी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दायर आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया है, हालांकि, विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना, 26.11.2024 को अंतरिम आदेश पारित कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की सौर परियोजना एक समयबद्ध परियोजना है और यदि इसे निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। उन्होंने दलील दी कि विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सहपठित धारा 221 के प्रावधानों का हवाला देते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। हालाँकि, इसे इस तथ्य पर विचार किए बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है कि यदि

---

विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 26.11.2024 को पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता की परियोजना दांव पर लग जाएगी और जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई है, वह विफल हो जाएगी। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि पुनरीक्षण याचिका को गलत तरीके से खारिज किया गया है क्योंकि यह पोषणीय नहीं है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को स्वीकार किया जाए और 20.12.2024 के आदेश को रद्द और अपास्त कर दिया जाए।

5. प्रतिपक्ष, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान राजस्व मंडल ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है क्योंकि यह राजस्व अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ पोषणीय नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन अभी भी विचाराधीन है और इस पर निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए, राजस्व मंडल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 सहपठित धारा 221 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण याचिका केवल अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के निर्णय के खिलाफ पोषणीय है, जिसमें मंडल या सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 1955 के अधिनियम की धारा 230 के अनुसार, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए त्रुटि कारित की जाए या इसका प्रयोग किसी गंभीर अनियमितता सहित किया जाए। अतः, वे निवेदन करते हैं कि रिट याचिका खारिज की जाए।

---

6. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है तथा मामले के प्रासंगिक अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. वर्तमान मामले के निर्विवाद तथ्य दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा सौर परियोजना की स्थापना के लिए दिनांक 04.03.2024 के आवंटन आदेश द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन को निजी प्रतिवादी ने सहायक कलेक्टर, बाप के समक्ष वाद दायर करके चुनौती दी थी। उक्त वाद के साथ, अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया गया था, हालांकि, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, सहायक कलेक्टर ने दिनांक 25.11.2024 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया। दिनांक 25.11.2024 के आदेश के खिलाफ, निजी प्रतिवादी ने विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की और विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 26.11.2024 के आदेश द्वारा एक एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर याचिकाकर्ता को प्रश्रुत भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 26.11.2024 के आदेश को याचिकाकर्ता ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके विद्वान राजस्व मंडल के समक्ष चुनौती दी थी और उसे दिनांक 20.12.2024 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है।

8. वर्तमान मामले में प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 सहपठित धारा 221 के अन्तर्गत किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका, जिसके सम्बन्ध में मंडल या सिविल न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं हो, पोषणीय है या नहीं?

---

9. वर्तमान मामले में तथ्यों और कानून की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, 1955 के अधिनियम की धारा 221 के साथ-साथ धारा 230 को पुनः उद्धृत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार है:

**“221. राजस्व न्यायालयों का अधीनीकरण** - सभी राजस्व न्यायालयों का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण मंडल में निहित होगा, और ऐसे सभी न्यायालय मंडल के अधीन होंगे; और ऐसे अधीक्षण, नियंत्रण और अधीनता के अधीन रहते हुए -

(क) हटाया गया.

(ख) किसी जिले के सभी अपर कलेक्टर, उप-खण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार उस जिले के कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे।

(ग) किसी उपखंड में सभी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उसके उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ होंगे, और

(घ) किसी तहसील के सभी अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील के तहसीलदार के अधीनस्थ होंगे।

**“230. मंडल की मामले मंगाने की शक्ति**- मंडल किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकता है, जिसमें धारा 239 के अधीन मंडल या सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है और यदि ऐसा न्यायालय ऐसा प्रतीत होता है-

(क) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया हो जो विधि द्वारा उसमें निहित न हो; या

(ख) इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा हो ; या

(ग) अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या गंभीर अनियमितता के साथ किया हो ।

मंडल मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उचित समझे।

10. धारा 221 के अवलोकन से पता चलता है कि सभी राजस्व न्यायालयों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति राजस्व मंडल में निहित होगी और इसलिए, धारा 221 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व मंडल राजस्व न्यायालयों के अधीक्षण, नियंत्रण और अधीनता की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। इसलिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि राजस्व मंडल को राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है।

11. जहां तक अधिनियम की धारा 230 के तहत राजस्व मंडल की पुनरीक्षण शक्ति का संबंध है, इसका प्रयोग किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा **"निर्णीत"** किसी भी मामले में किया जा सकता है, जिसमें मंडल या सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है और दूसरी बात, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग "अधिकार क्षेत्र" के आधार पर किया जा सकता है यदि इसका प्रयोग उचित रूप से नहीं किया जाता है या गंभीर अनियमितता के साथ किया जाता है।

12. इसलिए, इस न्यायालय की राय में, कानून अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा केवल **"निर्णीत"** मामले में जहां कोई अपील नहीं होती है और दूसरा जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई न्यायिक त्रुटि कारित की गयी हो, वहाँ पुनरीक्षण याचिका की पोषनीयता को अनिवार्य करता है। इसके अलावा, केवल एक अंतरिम आदेश पारित करना ही दायर अंतरिम आवेदन पर निर्णय नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, इसे 1955 के अधिनियम की धारा 230 के अनुसार **"एक निर्णीत मामले"** की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

13. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, एकपक्षीय अंतरिम आदेश आम तौर पर मामले की प्रारंभिक तिथि पर पारित किए जाते हैं जबकि दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिस के बाद, दूसरा पक्ष संबंधित न्यायालय के समक्ष

---

उपस्थित हो सकता है और अपना बचाव/प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि अंतरिम आदेश के चरण में, अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन का निर्णय नहीं किया जाता है, इसलिए पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में सरल तर्क यह है कि एक बार जब दूसरा पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, तो द्विपक्षीय सुनवाई होती है और फिर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, अंततः न्यायालय स्थगन आवेदन/अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन या ऐसे किसी अन्य आवेदन पर निर्णय करता है। इस प्रकार, एकपक्षीय अंतरिम आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण 1955 के अधिनियम की धारा 230 के तहत उचित रूप से पोषणीय नहीं है।

14. विद्वान राजस्व मंडल की पूर्ण पीठ को **जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम एवं अन्य (पुनरीक्षण/एलआर/9867/2012/ नागौर)** के मामले में समान और सदृश प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला, जिसका निर्णय 12.03.2014 को हुआ था और राजस्व मंडल की पूर्ण पीठ द्वारा उसी बिंदु पर दिया गया निष्कर्ष मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक है, जो कि निम्नानुसार है:

#### **“ मंडल में पुनरीक्षण याचिकाओं की पोषणीयता :**

62- अधिनियम की धारा 230 के तहत प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मंगवाने और उनके विवादित आदेशों की जाँच करने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं। सामान्यतः ऐसा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सभी उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और राजस्व मंडलों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने के लिए सौंपा गया है। 1955 का अधिनियम मंडल को धारा 230 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करता है । धारा 230 का प्रावधान निम्नानुसार है:-

**“ 230. मंडल की प्रकरण आह्वान करने की शक्ति.-** मंडल किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जिसमें धारा 239 के अधीन मंडल या सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है और यदि ऐसा न्यायालय प्रतीत होता है जिसने-

(क) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया हो जो विधि द्वारा उसमें निहित न हो; या

(ख) इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा हो ; या

(ग) अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवैध रूप से या गंभीर अनियमितता के साथ किया गया है, तो मंडल मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।”

63- कानून के उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत ऐसे मामले के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है जिसमें मंडल या किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील दायर ना हो। इससे पहले, कानून का यह प्रावधान संहिता की धारा 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त पुनरीक्षण शक्तियों के समान था।

64- यहाँ यह उल्लेख करना भी अत्यंत प्रासंगिक है कि भारत सरकार ने सिविल मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु न्यायमूर्ति मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने पाया कि निचली अदालतों का अभिलेख अक्सर पुनरीक्षण कार्यवाहियों में उच्च न्यायालयों को भेज दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालतों में कार्यवाही लगभग स्थगित हो जाती है। समिति का यह भी मानना था कि अंतरिम आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश न्यूनतम होनी चाहिए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 संसद में प्रस्तुत किया गया और समिति की टिप्पणियों के आलोक में संहिता की धारा 115 में भी संशोधन किया गया। किन्तु अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत प्रावधान अभी भी यथावत है।

65- पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मंडल के समक्ष मूलतः दो प्रकार की याचिकाएँ दायर की जाती हैं। पहली, इस अधिनियम

के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही में विचारण न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम या अंतरिम आदेशों के विरुद्ध। दूसरी, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही में सिविल प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्वर्ती आवेदनों पर विचारण न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध। इस मामले में, इस न्यायालय को अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत दायर उन पुनरीक्षण याचिकाओं की पोषणीयता की जाँच करनी है, जिनमें विचारण न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय आदेशों का विरोध किया गया हो।

66- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम स्वरूप सिंह (एआईआर 1971 (एससी) 2324) में निर्णय दिया है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवेकाधीन प्रकृति का है और पुनरीक्षण न्यायालय केवल इस आधार पर आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं है कि पुनरीक्षण के प्रावधानों में प्रदत्त शर्तें पूरी होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आक्षेपित आदेश अंतर्वर्ती है और पीड़ित पक्ष के पास अपील के रूप में अन्य प्रभावी उपाय है, तो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं किया जा सकता है। यह भी माना गया है कि पुनरीक्षण तथ्यों की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है, हालांकि, गंभीर या यहां तक कि कानून की त्रुटियों को भी ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है जब तक कि उक्त त्रुटियों का ऐसे विवादों पर विचार करने के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंध न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि **पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं है। अतः पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत मात्र गंभीर अनियमितताओं युक्त न्यायिक त्रुटियों को ही सही किया जा सकता है।**

67- पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का दायरा बहुत प्रतिबंधात्मक प्रकृति का है जैसा कि बख्तावन बनाम मंदिर मूर्ति श्री ठाकुर जी (1968 आरआरडी 394) में निर्णय दिया गया है। पुनरीक्षण न्यायालय को केवल निम्नलिखित मामलों में पुनरीक्षण स्वीकार करने का अधिकार है:-

(1) जहां क्षेत्राधिकार निहित है, किन्तु उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, या

(2) जब अधिकार क्षेत्र निहित न हो तब उसका प्रयोग किया हो, या

(3) जहां क्षेत्राधिकार के प्रयोग में गंभीर अनियमितता या अवैधता की जाती है।

68- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम अजीत प्रसाद (एआईआर 1973 (एससी) 76) मामले में यह निर्णय दिया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश सही या गलत हो सकता है; कानून के अनुसार हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उसे आदेश देने का अधिकार है। जहाँ ऐसा नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या स्पष्ट अनियमितता के साथ किया हो, ऐसे मामलों में पुनरीक्षण न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है।

69- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश चंद्र नन्होर्या बनाम राजेंद्र रजक एवं अन्य (2006 (7) एससीसी 800) मामले में यह निर्णय दिया कि एक पुनरीक्षण न्यायालय प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकता, जो निष्पक्ष न्यायनिर्णयन का सार है और जो न्यायिक प्रणाली की परंपरा और अंतरात्मा में गहराई से निहित है। **इसलिए, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा किसी पक्ष के विरुद्ध पारित कोई भी आदेश सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जा सकता।**

**70.** हरक चंद बनाम राजस्थान राज्य (1970 आरएलडब्लू 320) के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया है कि न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा प्रतीत हो कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवैध रूप से या गंभीर अनियमितता के साथ किया है। यह भी माना गया कि क्या विशेष साक्ष्य कानून के अनुसार स्वीकार्य है या नहीं, यह कानून का एक प्रश्न है, जिस पर निर्णय लेने का अधिकार विचारण न्यायालय को है और यदि उस प्रश्न पर निर्णय लेने में कोई स्पष्ट त्रुटि हुई है, तो यह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आधार नहीं बन सकता है। भीमराज एवं अन्य बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य (1998 आरआरडी 355) में, माननीय उच्च न्यायालय ने

निर्णय दिया है कि एक पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में, राजस्व मंडल अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में मंडल के लिए अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का आधार नहीं बनता है।

71- राजा रामकरण में बनाम बी. रामुलु (एआईआर 1982 (एपी) 256) मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि **जब तक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई स्पष्ट त्रुटि या गंभीर अनियमितता न हो, तब तक पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।** निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

“8.... क्षेत्राधिकार की शक्ति के प्रयोग में अनियमितता का कोई आभास नहीं है और आदेश पारित करने के दौरान यदि कोई त्रुटि, तथ्यात्मक या कानूनी, हुई है तो वह न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण नहीं करती है। प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को टालने या टालने के कथित इरादे को अपीलीय न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एक गंभीर अनियमितता नहीं माना जा सकता है। फोरम चुनने में वादी की नैतिकता न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के उद्देश्य से एक कारक नहीं है जिसे समर्थन दिया जा सकता है। पक्ष का कथित विलंबकारी रवैया न्यायालय के वैध क्षेत्राधिकार को निष्फल नहीं कर सकता है। ....जैसा कि इस न्यायालय की डिबीजन बेंच द्वारा निर्धारित किया गया है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पीड़ित पक्ष अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है और ऐसी अपील सक्षम है और अपीलीय न्यायालय इसे ग्रहण करने और उचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम है।

72- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सुमतिबेन मगनलाल मनानी बनाम उत्तम चंद काशी प्रसाद शाह और अन्य (2011) 7 एससीसी 328) के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"34. हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जैसा कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय में विस्तार से चर्चा की गई

है, प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध उप-पट्टे के निष्कर्ष पर पहुँचना पूरी तरह से उचित था। मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, निचली अदालतों द्वारा उचित रूप से निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों को रद्द करने में हस्तक्षेप करके एक भूल की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश किसी भी दृष्टि से धारणीय नहीं है।"

73- जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च न्यायालयों के मार्गदर्शक घोषणाओं और अधिनियम की धारा 230 के मौजूदा कानूनी प्रावधानों के प्रकाश में, इस पीठ की यह राय है कि:-

- (1) विचारण न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय आदेशों के विरुद्ध मंडल के समक्ष कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। विधि के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसे निर्णीत मामलों में ही मंडल के समक्ष पुनरीक्षण लाया जा सकता है, जहाँ अपील का कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध न हो।
- (2) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं है। इसलिए, केवल गंभीर अनियमितता वाली क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को ही पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ठीक किया जा सकता है।
- (3) जब तक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई स्पष्ट त्रुटि या गंभीर अनियमितता न हो, पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।
- (4) विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के आदेश को इस आधार पर पुनरीक्षण में चुनौती नहीं दी जा सकती कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों या विधि पर गलत निष्कर्ष अभिलिखित किया है, यदि उस न्यायालय को पुनरीक्षित आदेश पारित करने का अधिकार था।

प्रश्न संख्या 1: \*\*\*\*\*

उत्तर :- \*\*\*\*\*

प्रश्न संख्या 2:- \*\*\*\*\*

उत्तर :- \*\*\*\*\*

प्रश्न संख्या 3:-\_क्या अधिनियम की धारा 230 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका, विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय या अंतरिम एकपक्षीय आदेश के खिलाफ मंडल के समक्ष विचारणीय है; और क्या अधिनियम की धारा 221 के प्रावधानों का प्रयोग मंडल द्वारा अधिनियम की धारा 230 के साथ या अधिनियम की धारा 221 के तहत स्वतंत्र रूप से अंतरिम आदेशों से संबंधित पुनरीक्षण के सामान्य मामलों में किया जा सकता है?

उत्तर :- **(क) नहीं। अधिनियम की धारा 230 के तहत राजस्व मंडल के समक्ष विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किसी भी एकपक्षीय अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।**

(ख) राजस्व मंडल को अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत सामान्य अधीक्षण की पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन ये धारा 230 का स्थानापन्न, उपमार्ग या संक्षिप्त रूप नहीं हैं। धारा 221 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग केवल उन दुर्लभ मामलों में ही किया जा सकता है जहाँ निचली अदालत द्वारा किसी विशिष्ट अनिवार्य कानूनी प्रावधान की स्पष्ट अवहेलना करते हुए या उच्च न्यायालय की अवज्ञा करते हुए घोर अवैध कार्य किया गया हो; और जहाँ न्याय की विफलता हुई हो या जनहित को हानि पहुँची हो।”

15. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, मेरा यह सुविचारित मत है कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों एवं अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 एवं 221 के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है तथा पुनरीक्षण याचिका केवल वादों के निर्णय

के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों एवं अपीलीय न्यायालयों द्वारा निर्णीत अन्तरिम आवेदनों के विरुद्ध पोषणीय है।

16. अतः, वर्तमान रिट याचिका में कोई बल नहीं है और इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है। तथापि, विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वे अपील का शीघ्र निराकरण करें और यदि निराकरण नहीं होता है, तो कम से कम अन्तरिम निषेधाज्ञा के आवेदन पर यथाशीघ्र, अधिमानतः चार सप्ताह की अवधि के भीतर, सभी पक्षों को तत्काल आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार, निराकरण किया जाए।

17. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तथा स्थगन आवेदन भी तदनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

**(विनित कुमार माथुर) .जे**

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है. एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी